संख्या– 126 / 49 / XXVI-A-1 / 2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

कार्यक्रम क्रियान्वयन अनुभाग   देहरादून, दिनांक 27 मार्च, 2025

विषय : उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) (समय–समय पर यथासंशोधित) में संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनादेश सं0 61 / XXVII(7)36 / 2017, दिनांक 02.अप्रैल 2018 द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) (समय–समय पर यथासंशोधित) का प्रख्यापन किया गया है।

2– अवगत कराना है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 56 / का0क्रि0वि0 / 2010 दिनांक 25 नवम्बर,2010 के द्वारा कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखण्ड शासन के नियंत्रणाधीन सचिवालय स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रकोष्ठ का गठन किया गया एवं कार्यालय आदेश सं0 226152 / 56 / का0क्रि0वि0 / 2010 दिनांक 23 जुलाई, 2024 के द्वारा प्रकोष्ठ को पुर्नजीवित किया गया, उक्त प्रकोष्ठ के कार्यो के सुचारू सम्पादन हेतु उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) के अध्याय–4 परिशिष्ट–1 में अंकित विभागाध्यक्षों की सूची में क्रमांक–111 के पश्चात **क्रमांक–112** पर पदेन **मुख्य समन्वयक, कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रकोष्ठ** को विभागाध्यक्ष के रूप में अग्रेत्तर सम्मिलित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3 – उत्तराखण्ड वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018 संबंधी शासनादेश संख्या–61 / XXVII(7)36 / 2017, दिनांक 02 अप्रैल 2018 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए एवं शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रतिबंध यथावत् लागू रहेंगे। किसी प्राधिकारी को प्रतिनिहित किये गये वित्तीय अधिकार वित्त विभाग की विशिष्ट स्वीकृति के बिना उस प्राधिकारी द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को पुनः प्रतिनिहित नहीं किये जायेंगे।

4– यह शासनादेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0 I/286636/2025 दिनांक 27.03.2025 से प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

Signed by
Deepak Kumar
Date: 27-03-2025 17:43:03

(दीपक कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन :– 126 / 49 / XXVI-A-1 / 2024 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. - महालेखाकार, उत्तराखण्ड महालेखाकार भवन, कौलागढ, देहरादून।
2. - सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।

3. - अध्यक्ष, राजस्व परिषद,उत्तराखण्ड।
4. - महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
5. - मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
6. - सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड देहरादून।
7. - सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
8. - मुख्य समन्वयक, कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9. - मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमाऊं ।
10. - समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. - समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
12. - निदेशक कोषागार एवं पेंशन एवं हकदारी, देहरादून उत्तराखण्ड।
13. - निदेशक, लेखापरीक्षा (ऑडिट) उत्तराखण्ड।
14. - निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
15. - समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. - समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
17. - संयुक्त निदेशक, राजकीय प्रेस, रूडकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन की 250 प्रतियां पुस्तिका के रूप में तैयार कर यथाशीघ्र कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
18. - गार्ड फाइल।

Signed by आज्ञा से,
Jagdamba Prasad Maikhuri
Date: 27-03-2025 17:50:28
(जे0पी0 मैखुरी)
अनु सचिव।

परिशिष्ट–1

उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) के अध्याय–4 (विभागाध्यक्षों की सूची) परिशिष्ट–1 में अंकित विभागाध्यक्षों की सूची में क्रमांक–111 के पश्चात निम्न विभागाध्यक्ष का नाम अग्रेत्तर सम्मिलित किया जाता है :–

112. मुख्य समन्वयक, कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड देहरादून।